||

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः 113/ जे0डी0 / फा0स0 / लखनऊ–17(सहा0) / 261. दिनांकः जून 15 2017,

सेवा मे,

स्वामी / प्रबन्धक,
मैसर्स शैमफोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल,
खसरा नं0–214, 211, ग्राम मेहरवानी, चकरौता रोड तहसील सहारनपुर,
जनपद–सहारनपुर

विषयः **मैसर्स शैमफोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा खसरा नं0–214, 211, ग्राम मेहरवानी, चकरौता रोड तहसील+जनपद सहारनपुर मे निर्मित एजुकेशनल भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडीः2017 / 29409 / एसआरआर / सहारनपुर / 440 / जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत शैक्षणिक भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर कार्यालय से किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहारनपुर श्री पन्नालाल एवं एफएसएसओ श्री राम स्वरूप द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक एवं सीएफओ की कमेटी द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 10–06–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से पत्रावली संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–7022.49 वर्ग मी0।
2–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–1203.39 वर्ग मी0।
3–निर्मित प्रथम एवं द्वितीय तल कवर्ड एरिया–1203.39 वर्ग मी0 प्रत्येक।
4–निर्मित तृतीय तल कवर्ड एरिया–673.35 वर्ग मी0 (टीन शैड)।
5–भवन की ऊचॉईः–12.64 मीटर।

भवन का अधिभोगः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी–2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐं:–

1–पहुॅच मार्ग– प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।
2–प्रवेश द्वारः–भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई 04.60 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।
3–सैटबेक– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–
ए0–अग्रभाग–09.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–13.56 मी0।
सी0–पार्श्व भाग–प्रथम–06.85 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–31.80 मी0।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन एन0बी0सी0 एव निर्माण विनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निमार्ण कार्य एवं पार्किंग अनुमान्य नही होगी सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायें।

4–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन मे 03 अदद स्टेयरकेस जिनकी कमशः चौडाई 01.50 मी0 प्रत्येक निर्मित है, तथा भवन के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित पायी गयीः–

1–होजरीलः–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल पर होजरील आई0एस0–3844 मानक के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।
2–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 लीटर कार्यशील दशा मे स्थापित है।
3–टेरिस पम्पः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 मानको के अनुसार स्थापित है।
4–डाउनकमर सिस्टमः–प्रश्नगत भवन मे डाउनकामर सिस्टम आई0एस0–3844–1993 मानकों के अनुसार स्थापित है।
5–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

6–पी0ए0 सिस्टमः– भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।
7–एग्जिट साईनेजः– भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स शैमफोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा खसरा नं0–214, 211, ग्राम मेहरवानी, चकरौता रोड तहसील+जनपद सहारनपुर उ0प्र0 मे निर्मित एजुकेशनल भवन को कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर–सी0–6 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व नौएडा/ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4–भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0–2005 के एनेक्स–ई–3 के अनुसार इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उक्त के सम्बन्ध मे अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर को उक्त के सम्बन्ध मे अनुपालनार्थ तथा इस निर्देश के साथ की विलम्बतम 24 घण्टे मे फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3–प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन सहारनपुर को उक्त के सम्बन्ध मे अनुपालनार्थ।
4–जिला विद्यालय निरीक्षक जंनपद सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।